न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
अपील डिक्री/टीए/3892/2004/राजसमन्द

मृतक गणेश पुत्र देवकिशन जरिये वारिसान'–
1–मु. भूरीबाई बेवा स्व. गणेशलाल
2– अम्बाबाई पुत्री स्व. गणेशलाल
3–निर्मला देवी पुत्री स्व. गणेशलाल
4– अशोक कुमार पुत्र स्व. गणेशलाल
5–शकुन्तला पुत्री स्व. गणेशलाल
6–दमयन्ती पुत्री स्व. गणेशलाल
7–देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व. गणेशलाल
समस्त निवासीगण पुनावली तहसील एवं जिला राजसमन्द

–अपीलांटस

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर राजसमन्द
2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजसमन्द

– – –रैस्पोडेंट

खण्डपीठ

श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–
श्री ओ. एल. दवे, एवं श्री मुकेश दाधिच,अभिभाषकगण, अपीलांटस
श्री शिव प्रकाश चौधरी उप राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेंट

दिनांक **दिनांक 09–1–2019**

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–1–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने एक बावत इन्द्राज दुरस्ती एवं आदेशात्मक घोषणा न्यायालय सहायक कलक्टर राजसमन्द के समक्ष पेश किया एवं निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1351 /1293 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम साकरोदा तहसील राजसमन्द पर सन 1963 से काबिज काश्त है। उक्त आराजी सैटलमेंट से पूर्व बिलानाम नाम सरकार दर्ज चली आ रही थी एवं वादी को आवंटित हुई जिसके बाद सैटलमेंट नये नम्बर 1525 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा दर्ज किये गये तथा भूमि की किस्म चारागाह दर्ज कर दी गयी जबकि तहसीलदार ने इस भूमि की किस्म गैर मुमकिन मगरी दर्ज होने से परिवर्तन हेतु प्रस्ताव जिला कलक्टर राजसमन्द को भेजा जिस पर दिनांक 26–6–72 को साबिक

खसरा नम्बर 1351/1293 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा किस्म मगरी से बदल कर बिलानाम करदी गयी । उक्त आशय का आदेश तहसीदलार राजसमन्द के कार्यालय से जारी किया गया है और दिनांक दिनांक 26–6–72 को वादी नाम पत्रावली संख्या 332/68 में दिनांक 13–10–72 को नियमन का आदेश पारित कर दिया और अमल दरामद भी कर दिया किन्तु बाद में यह भूमि चारगाह दर्ज होने के कारण वादी के पक्ष में खोला गया नामा0 निरस्त कर दिया गया। यह समस्त कार्यवाही भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत अंकन के कारण हुई है। उक्त अंकन को दुरस्त करने के लिए इन्द्राज दुरस्ती का वाद अधीनस्थ परीक्षणय न्यायालय में पेश होने पर प्रतिवादीगण को जबाव पेश करने का अवसर दिया जिस पर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय में प्रतिवीदगण की ओर से कोई जबाव पेश नही किया गया । अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने वादी की एकपक्षीय बहस सुन कर वादी का वाद साक्ष्यों के अभाव में खारिज कर दिया जिसके विरुद्ध प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के समक्ष पेश हुई । विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26–7– 2004 के द्वारा वादी/अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–12–2003 को यथावत रखा गया है। अधीनस्थ न्यायालयों के उक्त दोनो निर्णयों व डिक्री के विरुद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

3– विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो के वाक्यात को दोहराते हुए बताया कि राजस्व अपील अधिकारी ने अपीलांटस की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज कर कानूनी त्रुटि की है। उनका आगे तर्क है कि परीक्षण न्यायालय ने कानून के विपरीत वादी का वाद सिद्ध नही होने से खारिज किया है। जबकि तहसीलदार के रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की गयी है और इसमें रेस्पेडेंट की ओर से कोई जबाव भी पेश नही हुआ है। फिर भी दावा वादी साक्ष्यों से प्रमाणित नही होना मान कर खारिज किया है जो विधि विरुद्ध है, जिसकी अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा भी अपील को सरसरी तौर पर खारिज कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखते हुए कानूनी त्रुटि की है। अन्त में अपील स्वीकार कर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त कर वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रैस्पोडेंट ने दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को उचित व कानून सम्मत बताया और निवेदन किया कि वादी/अपीलांट द्वारा अपने वाद को किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नही कराने पर ही दोनो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज किया है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादी/अपीलांट का वाद कानूनी तौर पर सही खारिज किया है तथा उसकी अपील विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा भी अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26—7—2004 द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2003 को यथावत रखते हुए प्रथम अपील को खारिज करने में कोई कानूनी त्रुटि नही की गयी है। अन्त में अपील को खारिज करने का निवेदन किया गया।

6— उभयपक्षकारान की ओर से अपील पर की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध अपीलाधीन निर्णयों का अवलोकन किया गया। अपीलांट की ओर से यह तर्क रहा है कि दिनांक 26—6—72 को तत्कालीन जिला कलक्टर ने विवादित आराजी खसरा नंबर 1525 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा किस्म मगरी से परिवर्तित करके बिलानाम अंकित की गयी इसके बाद तहसीलदार राजसमन्द ने भी हमारे पक्ष में नियमन का आदेश पारित कर दिया और पत्रावली संख्या 332/68 में दिनांक 13—10—72 को हमारे पक्ष में अमल दरामद करने व पटटा शुल्क जमा करने का आदेश दिया है।

7— जहॉ तक वादी/अपीलांट के पक्ष में नियमन का प्रश्न है , तसहीलदार नियमन करने के लिए सन 1972 में सक्षम नही थे। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 101 के तहत कृषि भूमि आवंटन/नियमन के नियम 1970 प्रभाव में होते हुए जिसके तहत आवंटन अथवा नियमन की कार्यवाही आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा ही की जा सकती थी और उक्त आवंटन सलाहकार समिति की सलाह पर केवल उपखण्ड अधिकारी ही आवंटन करने के लिए अधिकृत थे जबकि प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 13—10—72 को तहसीलदार द्वारा नियमन के जो आदेश दिये गये है ,वे किन नियमों के तहत दिये गये, इसे अपीलांट द्वारा स्पष्ट नही किया गया है।

ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा नियमन सम्बन्धी दिया गया आदेश आवटन नियमों के विपीरत दिया गया है जो प्रारम्भ से ही शून्य है। ऐसीस्थिति में वादी/अपीलारंट की ओर से जो खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरती का वाद अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसे वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नही कराने पर ही खारिज किया है जिसकी अपील विद्वान अपील अधिकारी, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा अपने विस्तृत निर्णय व डिक्री से वादी/अपीलांट की ओरसे प्रस्तुत अपील को खारिज करने में कोई कानूनी त्रुटि नही की है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विस्तृत एवं समवर्ती है और समस्ती निर्णयों में हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझते है। फलस्वरुप यह द्वतीय अपील आधारहीन व सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8— अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में यह द्वितीय अपील खारिज की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26—7—2004 एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द दारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30—12—2003 यथावत रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग) (मोहन लाल नेहरा)

सदस्य सदस्य